फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टैण्ड नाथद्वारा (10452) जिला राजसमन्द

– प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. श्री हरि सिंह झाला पुत्र श्री लाल सिंह झाला
   कानूनी वारिसान
   1. श्रीमती आशा कंवर पत्नी स्व. श्री हरि सिंह झाला,
   2. श्री यशवंत सिंह झाला पुत्र स्व. श्री हरि सिंह झाला,
   3. श्री शिवराज सिंह झाला पुत्र स्व. श्री हरि सिंह झाला,
      पता – झाला बस्ती, रावला चौराह, झालों की मदार, हसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) 313321 **–अप्रार्थीगण / ऋणी**
2. श्रीमती फेफा कंवर झाला पत्नी श्री लाल सिंह झाला पताः– पताः झाला बस्ती, रावला चौराह, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) 313321
3. श्रीमती केसर कंवर पत्नी श्री पर्वत सिंह पत्तारू– रचका का कुवा, बाठेडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.) 313602 **– सहऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 11 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टैण्ड नाथद्वारा (10452) जिला राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी स्व. श्री हरि सिंह झाला पुत्र श्री लाल सिंह झाला के कानूनी वारिसान श्रीमती आशा कंवर पत्नी स्व. श्री हरि सिंह झाला, श्री यशवंत सिंह झाला पुत्र स्व. श्री हरि सिंह झाला, श्री शिवराज सिंह झाला पुत्र स्व. श्री हरि सिंह झाला, पता :– झाला बस्ती, रावला चौराह, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) 313321 एवं सहऋणी श्रीमती फ़ेफा कंवर झाला पत्नी श्री लाल सिंह झाला, पता :– आला बस्ती, रावला चौराह, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) 313321, श्रीमती केसर कंवर पत्नी श्री पर्वत सिंह पता रचका का कुवा, बाठेडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)	

313602 को रूपये 13,84,800/— का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में अचल सम्पत्ति :— आवासीय गिरवीकृत सम्पत्ति जो आराजी न. 3929, ग्राम झालों की मदार, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) मे स्थित है जो श्री हरि सिंह झाला पुत्र श्री लाल सिंह झाला, फेफा कंवर झाला पत्नी श्री लाल सिंह झाला श्रीमती केसर कंवर पत्नी श्री पर्वत सिंह के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर है। जिसके पडौस निम्नानुसार है — पूर्व — रास्ता, पश्चिम — भैरू लाल की भुमि, उत्तर — स्वंय की भुमि, दक्षिण — स्वंय की भुमि व इसके बाद रास्ता। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के नियमानुसार दिनांक 01.01.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उक्त ऋण बाबत् दिनांक 17.06.2023 को एक मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि रूपये 17,02,273/— रू. दिनांक 14.06.2023 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। तथा संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 17.06.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ—पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल एवं अचल सम्पतिः आवासीय गिरवीकृत सम्पत्ति जो आराजी न. 3929, ग्राम झालों की मदार तहसील खमनौर, जिला राजसमंद (राज.) मे स्थित है जो श्री हरि सिंह झाला पुत्र श्री लाल सिंह झाला, फेफा कंवर झाला पत्नी श्री लाल सिंह झाला श्रीमती केसर

न्यायालय जिला कलक्टर

कंवर पत्नी श्री पर्वत सिंह के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर है। जिसके पडौस निम्नानुसार है– पूर्व – रास्ता, पश्चिम – भैरू लाल की भुमि, उत्तर – स्वंय की भुमि, दक्षिण – स्वंय की भुमि व इसके बाद रास्ता।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा जिला राजसमन्द के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)